MESH
विकलांगों की सेवा के लिए रोजगार

" स्मार्ट तरीके से खरीददारी करें।
बंधकों द्वारा बनवाए सामान से मुक्त रहें।
उचित व्यापार का सामान खरीदें।"

- अनजान

सुनिश्चित करना कि बाल श्रम व बेगार ना हो।

बाल श्रम का मतलब है कोई भी कार्य जिसमें बालक शामिल हो जो कि मानसिक ,शारीरिक,सामाजिक और नैतिक रूप से खतरनाक हो और उसे स्कूल जाने से रोके या स्कूल में ध्यान केन्द्रित करने से रोके या बच्चे की परवरिश से जुड़े आयामों जैसे स्वास्थ्य ,सामाजिक, सांस्कृतिक,मनोवैज्ञानिक,नैतिक,धार्मिक पर नकात्मक रूप से प्रभाव डालता हो।

एक बच्चा वो है जो 14 वर्षों के नीचे की उम्र का हो जबकि 14 से 18 वर्षों की उम्र वाला किशोर होता है।

बेगार या जबरन काम करवाना - इसमें वे कार्य या सेवा शामिल होती है जो किसी व्यक्ति से धमकी या जुर्माना ,दासता और अपहरण , लोक या कारावास कार्य के दुरुपयोग ,जबरन भर्ती,कर्ज़ बंधन,घरेलू कामगारों द्वारा जबरब श्रम और आंतरिक या अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी जो श्रम या सेक्स के उद्देश्य से की गई हो जिसमें दासता या उसी के समान प्रथाएँ शामिल हों।

पांचवें सिद्धान्त के आधार पर उत्पादक समूहों की निगरानी निम्न बिन्दुओं के अनुसार की जाती है:

अनुपालन मानदंड	संकेतांक जो दर्शाते हैं की आप लागू कर रहे हैं:
उत्पादक समूह बच्चों को नियुक्त नहीं करता	• समूह बाल श्रम व कम उम्र कामगारों के सबंध में प्रासंगिक राष्ट्रीय कानून का अनुपालन करता है। • समूह के पास कारीगरों की आयु को सत्यापित करने की प्रणाली हो। • समूह के पास बाल श्रम और उत्पादन प्रक्रिया में बच्चों को शामिल करने संबंधी नीति हो। • किशोरों (यानि जो 14 से 18 वर्ष के बीच में आते हैं) को खतरनाक कार्यों और प्रक्रियाओं में कार्य करने पर प्रतिबंध लगाएँ। ऐसे विशेष मामले जहां राष्ट्रीय कानून के तहत बाल श्रम मान्य है ◆ बाल श्रम अधिनियम 1986 से संबन्धित नियम और विनियम- http://labour.gov.in/sites/default/files/act_3.pdf ◆ बाल श्रम अधिनियम 2012 का संशोधन – http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=121636 ◆ बाल श्रम अधिनियम 2016 का संशोधन – http://labour.gov.in/sites/default/files/THE%20CHILD%20LABOUR%20%28PROHIBITION%20AND%20REGULATION%29%20AMENDMENT%20ACT%2C%202016_0.pdf ◆ किसी भी बालक को निम्न व्यवसायों में नियुक्त नहीं किया जा सकता है - http://www.childlineindia.org.in/CP-CR-Downloads/child_labour_updated_schedule.pdf ◆ भारत में बाल श्रम के विषय में - https://en.wikipedia.org/wiki/Child_labour_in_India
उत्पादक समूह किसी को ज़बरदस्ती श्रम हेतु नियुक्त नहीं करता	• उत्पादक समूह अपने कर्मचारियों और सीधे रूप से नियुक्त उत्पादकों के भुगतान पर रोक या कानूनी दस्तावेज़ों पर कब्जा नहीं जमा सकता है। • यह अपने कर्मचारियों या सीधे तौर पर नियुक्त उत्पादकों पर कहीं आने-जाने की स्वतन्त्रता या रोजगार की स्वतन्त्रता पर बंधन नहीं लगा सकता है। • उत्पादक समूह किसी भी व्यक्ति से धमकी,जुर्माना,बंधक,अपहरण,जबरन नियुक्ति,कर्ज़ बंधन के आधार पर

	काम नहीं करवा सकता है।

संदर्भ:

http://www.wfto.com/fair-trade/10-principles-fair-trade
https://en.wikipedia.org/wiki/Child_labour_in_India
http://labour.gov.in/sites/default/files/THE%20CHILD%20LABOUR%20%28PROHIBITION%20AND%20REGULATION%29%20AMENDMENT%20ACT%2C%202016_0.pdf

शुभेच्छा सहित,
एमईएसएच